संख्या–2772/26–3–2010

प्रेषक,

प्रेम नारायण,
समाज कल्याण आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

जिलाधिकारी,
लखीमपुर खीरी / बहराइच / पीलीभीत / श्रावस्ती / चंदौली / सोनभद्र / मीरजापुर / चित्रकूट / महोबा / झांसी / ललितपुर / बलरामपुर / गोण्डा / गोरखपुर / सहारनपुर / महराजगंज / इलाहाबाद / बांदा / हमीरपुर / जालौन / बिजनौर।

समाज कल्याण अनुभाग–3 लखनऊ :दिनांक 26 अगस्त, 2010

विषयः– अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत सामुदायिक अधिकारों तथा सामुदायिक सुविधाओं के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि प्रदेश में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी(वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 का क्रियान्वयन इस अधिनियम के अंतर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार 01 जनवरी, 2008 से किया जा रहा है। प्रदेश में भौगोलिक क्षेत्रफल का 6.97 प्रतिशत ही वन क्षेत्र है जो मुख्यतः सम्बोधित जनपदों में ही है। अब तक प्रदेश में 10092 दावाधारकों के दावों को अधिकार पत्र दिये जा चुके हैं जिसमें से 10084 अधिकार पत्र व्यक्तिगत रूप से तथा 08 सामुदायिक अधिकार पत्र संयुक्त रूप से समुदाय को दिये गये हैं जिसके अंतर्गत 10472.16 एकड़ वन भूमि निहित है।

यह भी अवगत कराना है कि वन अधिकार अधिनियम का मुख्य उददेश्य उन दावा धारकों के अधिकारों का निर्धारण करना है जो अपनी आजीविका हेतु वनों के ऊपर निर्भर हैं। अधिकारों के निर्धारण के साथ–साथ वनों की सुरक्षा व संवर्धन का दायित्व भी दावाधारकों को दिया जाना है। यह भी अवगत कराना है कि वनों के अंदर व आसपास रहने वाले आदिवासी व परम्परागत वन निवासियों की आर्थिक स्थिति में जब तक सुधार नहीं होता है तब तक वनों की सुरक्षा व संवर्धन में भी

S MOURYAG.0

कठिनाई होगी। इसी उददेश्य को ध्यान में रखते हुए वन अधिकार अधिनियम की धारा 3(1) के अंतर्गत खेती व निवास हेतु व्यक्तिगत अधिकार के अतिरिक्त विभिन्न अनेकों दूसरे अधिकार जैसे कि गौण वन उपज का स्वामित्व, जंगलों में चराई का अधिकार, जंगल में स्थित तालाबों से जानवरों को पानी पिलाने का अधिकार व ऐसे अन्य सामुदायिक अधिकार जिनका प्रयोग समुदायों द्वारा परम्परागत तरीके से किया जा रहा है, को भी वनाधिकारों में शामिल किया गया है। वनों के अंदर व आसपास रहने वाले वनवासियों व आदिवासियों को वनों की सुरक्षा का अधिकार भी प्रदान किया गया है। हम लोगों को केवल व्यक्तिगत अधिकार देने तक ही सीमित नहीं रह जाना है। वनों से जुडे हुए लोगों की भावनाओं को समझते हुए तथा वन अधिकार अधिनियम के मुख्य उददेश्यों को ध्यान में रखते हुए ग्राम स्तरीय समितियों व ग्रामीणों को धारा 3 (1) के अंतर्गत सामुदायिक अधिकारों के बारे में भी अवगत कराया जाना है, ताकि ग्राम स्तरीय समितियां वन अधिकार अधिनियम में निहित समस्त अधिकारों का उपभोग कर सकें तथा वनों के संवर्धन व सुरक्षा में भी सहयोग दे सकें।

वन अधिकार अधिनियम की धारा–3(1) के अंतर्गत जिन दावा धारको को वनभूमि निवास व खेती हेतु दी गयी है उन लोगों का सम्यक विकास हो सके, इस हेतु धारा 3(2) के अंतर्गत विद्यालय, औषधालय या अस्पताल, आंगनबाड़ी, उचित कीमत की दुकानें, विद्युत और दूरसंचार लाइनें, टंकिया और अन्य लघु जलाशय, पेयजल की आपूर्ति और जल पाइप लाइनें, जल या वर्षा जल संचयन संरचनायें, लघु सिंचाई नहरें, अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत, कौशल उन्नयन या व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, सड़कें और सामुदायिक केन्द्र आदि कार्यों के लिए एक हैक्टेयर तक वन भूमि दिये जाने की व्यवस्था है जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी भारत सरकार द्वारा संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी को बनाया गया है। अभी तक अधिनियम के इस प्राविधान का लाभ किसी कार्यदायी संस्था द्वारा नहीं उठाया गया है। भारत सरकार द्वारा इसकी प्रक्रिया भी तय कर दी गयी है, जिसकी प्रति संलग्न कर आपको प्रेषित की जा रही है।

उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम–2006 के अंतर्गत सामुदायिक अधिकारों के संबंध में भी प्रचार प्रसार करते हुए दावे प्राप्त किये जायें तथा उनका भी नियमानुसार

निस्तारण अधिनियम की मंशा के अनुरूप सुनिश्चित किया जाये। इसके अतिरिक्त अधिनियम की धारा—3(2) के अंतर्गत वनाधिकार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों/समुदायों के उपयोगार्थ सामुदायिक सुविधाओं की आवश्यकता का आंकलन करते हुए इस संबंध में प्रस्ताव कार्यदायी संस्थाओं से प्राप्त कर उसकी स्वीकृति की दिशा में भी नियमानुसार शीघ्र आवश्यक कार्यवाही की जाये। इन दोनों विषयों के संबंध में आगामी माह से नियमित समीक्षा की जायेगी।

संलग्नक—यथोक्त

भवदीय,

(प्रेम नारायण)
समाज कल्याण आयुक्त ।

संख्या—2772(1)/26—3—2010 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. संबंधित मण्डलायुक्त।
2. प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, वन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख वन संरक्षक,उ0प्र0 लखनऊ।
5. निदेशक जनजाति विकास, उ0प्र0, लखनऊ।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

S MOURYAG.0

पत्रांक 23011/15/2008-एस.जी.-2 का अनुलग्न
तिथिः 18 मई, 2009

भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3(2)के तहत सरकार द्वारा प्रबंधित सुविधाओं हेतु वन भूमि को गैर-वन उद्देश्यों हेतु विपथन के लिए पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने की कार्यविधि ।

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 की उप-धारा(2) में यह प्रावधान है कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में किसी भी बात के रहते हुए भी, केन्द्र सरकार उस धारा में यथा विनिर्दिष्ट सरकार द्वारा प्रबंधित कतिपय सुविधाओं हेतु वन भूमि के विपथन हेतु प्रावधान करेगी, जिसमें प्रति हेक्टेयर 75 पेड़ से अधिक नहीं काटे जाएंगें, बशर्ते वन भूमि के इस प्रकार के विपथन की अनुमति तभी होगी, यदि :-

(1) उपर्युक्त उपधारा में उल्लिखित उद्देश्यों हेतु विपथित भूमि प्रत्येक मामले में एक हेक्टेयर से कम हो; तथा

(2) ऐसी विकास परियोजनाओं को इस शर्त के अधीन क्लीयरेंस दी जा सकती है कि उसे ग्राम सभा की संस्तुति प्राप्त हो ।

2. अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 की उप-धारा(2) के प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु केन्द्रीय सरकार ने निम्नांकित कार्यविधि बनाई है -

परिभाषा- इस कार्यविधि में यदि संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो -

क 'अधिनियम' का अर्थ अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) अभिप्रेत है ;

ख 'जिला स्तरीय समिति' का अर्थ अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम, 2008 के नियम 7 के अंतर्गत गठित समिति है ;

ग 'वन भूमि' का अर्थ इस अधिनियम की धारा 2 (घ) में यथा परिभाषित अर्थ के समान है ;

घ 'ग्राम सभा' का अर्थ इस अधिनियम की धारा 2 (छ) में यथा परिभाषित अर्थ के समान है ;

ड. 'नोडल अधिकारी' का अर्थ कोई भी अधिकारी जो वन संरक्षक के पद से नीचे का न हो तथा जिसे राज्य सरकार के इस अधिनियम के अंतर्गत वन भूमि के विपथन से संबंधित मामले को निपटाने हेतु प्राधिकृत किया हो ;

च 'धारा' से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है ;

छ 'यूजर एजेंसी' का अर्थ एक केन्द्रीय विभाग अथवा राज्य सरकार अथवा एक जिला पंचायत है जो इस अधिनियम की धारा 3 उप-धारा (2) में यथा विर्निदिष्ट अनुसार सरकार द्वारा प्रबंधित विकास परियोजनाओं हेतु वन भूमि के विपथन हेतु आग्रह से है ;

ज "ग्राम" का अर्थ इस अधिनियम की धारा 2 (त) में यथा परिभाषित अर्थ से है ;

2.2 इस अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा 2 के अंतर्गत वन भूमि के विपथन हेतु अनुमोदन प्राप्त करने संबंधी प्रस्तावों की प्रस्तुति -

1. इस अधिनियम की धारा 3(2) के अंतर्गत विर्निदिष्ट अनुसार किसी विकास परियोजना हेतु वन भूमि का उपयोग करने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक यूजर एजेंसी एक उचित प्रारूप जो फार्म सं. (क) के रूप में संलग्न है, में प्रस्ताव देंगे तथा यह प्रस्ताव संबंधित ग्राम सभा के सामान्य सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा ताकि वह इस पर संकल्प ले सके ।
2. वन भूमि के विपथन हेतु संस्तुति देने के लिए संकल्प हेतु ग्राम सभा में कम से कम कुल संख्या के आधे सदस्यों की न्यूनतम संख्या का कोरम अनिवार्य है ।
3. ग्राम सभा की संस्तुति की प्राप्ति के उपरांत यूजर एजेंसी उस प्रस्ताव को उस क्षेत्र के रेंज वन अधिकारी (आर.एफ.ओ.) के समक्ष प्रस्तुत करेंगें जिसमें ग्राम सभा द्वारा लिए गए संकल्प भी संलग्न होंगे ।
4. संबंधित रेंज वन अधिकारी (आर.एफ.ओ.) उस प्रस्ताव क्षेत्र के स्थल का दौरा करेंगें तथा प्रस्ताव की स्वीकृति पर अपने विचार देंगें ।
5. संबंधित रेंज वन अधिकारी (आर.एफ.ओ.) संबंधित मंडल वन अधिकारी (डी.एफ.ओ.) को फार्म ख के रूप में संलग्न प्रपत्र में प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगें तथा यूजर एजेंसी से प्राप्त प्रस्ताव की तिथि के तीन सप्ताह के भीतर स्थल दौरा निरीक्षण रिपोर्ट एवं अपने विचार प्रस्तुत करेंगें ।
6. संबंधित मंडल वन अधिकारी (डी.एफ.ओ.) उस प्रस्ताव पर विचार करेंगें तथा यदि वह सहमत होंगें तो अपनी सहमति एवं अनुमोदन संबंधी रेंज वन अधिकारी (आर.एफ.ओ.) को आर.एफ.ओ. से प्रस्ताव प्राप्ति की तिथि से चार सप्ताह के भीतर जिला स्तरीय समिति के अध्यक्ष को एक प्रति के साथ प्रस्तुत करेंगें ।
7. संबंधित डी.एफ.ओ. से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद आर.एफ.ओ. उक्त क्षेत्र में वन भूमि को चिन्हित कर उसे ग्राम सभा के निरीक्षण के अधीन उक्त यूजर एजेंसी को भूमि विपथन को मान्यता देते हुए सौंप देंगें ।
8. यदि संबंधित मंडल अधिकारी यूजर एजेंसी द्वारा रेंज वन अधिकारी (आर.एफ.ओ.) द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं देते हैं तो अंतिम निर्णय हेतु वह जिला स्तरीय समिति को प्रस्ताव भेज देंगें ।
9. जिला स्तरीय समिति न्यूनतम 1/3 कोरम के साथ बैठक कर एक अंतिम निर्णय लेकर यदि प्रस्ताव स्वीकृत करती है तो अभिलेख तथा नक्शे में सुधार को क्रियान्वित करने हेतु डी.एफ.ओ. को अपना निर्णय सूचित कर सकती है ।
10. मंडल वन अधिकारी (डी.एफ.ओ.) अथवा जिला स्तरीय समिति द्वारा वन भूमि के विपथन को अनुमोदन, जैसा भी मामला हो, इस शर्त के अधीन दिया जा सकता है कि वन भूमि का विपथन एक विर्निदिष्ट उद्देश्य के लिए अनुमत्य होगा तथा उसका उपयोग किसी अन्य उद्देश्य हेतु नहीं किया जाएगा तथा इस प्रकार विपथित भूमि जिस उद्देश्य से इसका विपथन किया गया था, उस उद्देश्य हेतु यूजर एजेंसी को भूमि सौंपने की तिथि से एक वर्ष के भीतर शुरू नहीं किए जाने की स्थिति में वन विभाग पुनः उस भूमि को विनियोजित करेगा ।
11. इस अधिनियम की धारा 3(2) के अधीन वन भूमि के विपथन हेतु अनुमोदनों की तिमाही रिपोर्ट डी.एफ.ओ. द्वारा उस राज्य के नोडल अधिकारी को दी जाएगी तथा वह समेकित तिमाही सूचना सचिव, जनजाति कल्याण विभाग को देंगें, तथा आगे वे समेकित सूचना जनजातीय कार्य एवं पर्यावरण तथा वन मंत्रालयों को देंगें ।
12. नोडल अधिकारी भी प्रगति की निगरानी करेंगें ।

****

परिशिष्ट

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3(2) के तहत सरकार द्वारा प्रबंधित सुविधाओं हेतु वन भूमि को गैर-वन उद्देश्यों हेतु विपथन के लिए पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने हेतु प्रपत्र ।

प्रपत्र क
(पैरा 2.2(1) देखें)
(यूजर एजेंसी द्वारा भरा जाएगा)

1. परियोजना विवरण :

(1) प्रस्तावित परियोजना/ योजना जिसके लिए वन भूमि वांछित है, के विषय में लघु कथन ।

(2) वांछित वन भूमि का विवरण (2 विकल्पों का उल्लेख करें)

क. स्थान-सर्वे संख्या/ कम्पार्टमेंट संख्या
ख. क्षेत्र का विस्तार (हैक्टेयर में)
ग. वन मंडल
घ. 1:50,000 के स्केल मैप पर निकटवर्ती वन की सीमा तथा वांछित वन भूमि को नक्शे पर दिखाएं;

(3) प्रस्तावित वन भूमि में परियोजना लगाने की औचित्यता

(4) प्रत्येक हैक्टेयर में काटे जाने वाले तथा लगाए रखे जाने वाले वृक्षों की संख्या

2. प्रस्तावित भवन/ गतिविधि क्षेत्र मैप के साथ वांछित कुल वन भूमि का उद्देश्यवार अलग-अलग विवरण ।

3. इस आशय की पुष्टि कि यूजर एजेंसी काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या की दोगुनी संख्या में उस परियोजना अथवा निकटवर्ती क्षेत्र में वृक्ष लगाएगी तथा कम से कम 5 वर्षों तक उन वृक्षों की सुरक्षा तथा अनुरक्षण हेतु वार्षिक राशि उपलब्ध कराएगी (विवरण संलग्न करें) ।

4. ग्राम सभा की संस्तुति - स्वीकृत/ अस्वीकृत
(जैसा भी मामला हो (✓) का निशान लगाएं) । (ग्राम सभा के संकल्प की प्रति संलग्न करें)

यूजर एजेंसी हेतु प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर

(बड़े अक्षरों में नाम) .....
पता..... .....

तिथि .....
स्थान .....

प्रस्ताव की क्रम संख्या .....
(रेंज वन अधिकारी द्वारा प्राप्ति तिथि के साथ भरा जाएगा)

प्रपत्र-ख

(पैरा 2.2(4) देखें)

(संबंधित रेंज वन अधिकारी के द्वारा भरा जाएगा)

प्रस्ताव की क्रम संख्या .....

1 परियोजना/ योजना का स्थान

(1) राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र
(2) जिला
(3) वन विभाग
(4) प्रस्तावित वन भूमि (2 विकल्प उल्लेख करने हैं)
क. स्थान-सर्वे संख्या/ कम्पार्टमेंट संख्या
ख. क्षेत्र का विस्तार (हैक्टेयर में)
(5) क्या यह जैविक रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरिडोर इत्यादि का भाग है ।

2. प्रस्ताव की स्वीकृति (दो विकल्पों के लिए अलग-अलग) पर उचित विचार के साथ निरीक्षण दौरा किए जाने की तिथि का उल्लेख करते हुए स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न करें ।

3. प्रस्ताव की स्वीकृति अथवा अन्य बातों हेतु रेंज वन अधिकारी की विनिर्दिष्ट संस्तुति तथा बेहतर विचार ।

रेंज वन अधिकारी का हस्ताक्षर

नाम .....
कार्यालय मुहर..... .....

तिथि .....
स्थान .....

कारण का उल्लेख करते हुए स्वीकृत/ अस्वीकृत

वन मंडल अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम .....
कार्यालय मुहर ....

तिथि .....
स्थान .....

****